

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

05 / 2019
01.03.2019

मोतीलाल पुत्र लावाराम जाति कीर निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज०

—अपीलान्त

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार दूनी दिनांक 25.
10.2018 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री विक्रम जैन, अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 17.01.2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 25.10.2018 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 2601 रकबा 0.08 है० किस्म गै०मु०रास्ता व खसरा नम्बर 3029 रकबा 0.03 है० किस्म बजंड वाके ग्राम दूनी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल करने एवं काश्त की गई फसल जप्त सरकार कर निलाम करने का आदेश दिया गया है। अपीलान्त ने तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा अपीलांत की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अपीलांत को साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलांत को जिरह का अवसर नहीं दिया और पटवारी हल्का द्वारा अपीलांत के विरुद्ध दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि के अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट पेश की है। विवादित आराजी के पास ही अपीलांत की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर

वाविरक जिला कलेक्टर,
87 टोंक



2821 स्थित है, अपीलांट की भूमि पर पुश्तेनी पक्की दीवार बनी हुई है। दीवार के सटवा ही श्री बाबा रामदेव एवं हनुमान जी का चबूतरा पुख्ता बना हुआ है तथा गत 20 वर्षों से भी अधिक समय से कटर मशीन लगी हुई है। दीवार के सहारे ही पीपल, खेजडी, नीम, ईमली, देशी बबूल, गुलमोहर के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। दीवार के सहारे-सहारे ग्राम पंचायत दूनी द्वारा पक्क नाला बना हुआ है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा सम्वंत 2072 वर्ष 2015-16 में बनायी गई खसरा परिवर्तनशील तथा गैर मुस्तकिल काश्त रिपोर्ट में अपीलांट का मात्र 0.03 है० पर अतिक्रमण बताया था तथा उसी रिपोर्ट में अन्य और 13 व्यक्तियों के भी अतिक्रमण बताये गये थे, लेकिन राजनैतिक द्वेषता से केवल अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि में निर्मित दीवार के सटवा पुख्ता नाला बना है और उसके पश्चात 18 फीट चोड़ा रोड बना हुआ है, जिसमें आवागमन जारी है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि के संबंध में एक वाद न्यायालय ग्राम न्यायालय देवली में मोतीलाल बनाम राजस्थान राज्य आदि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन है। उक्त वाद में स्वयं तहसीलदार भी पक्षकार हैं और उक्त वाद के नोटिस प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व भूमि खसरा नम्बर 2601 रकबा 0.82 है० वाके ग्राम दूनी का सीमाज्ञान नहीं करवाया और बिना सीमाज्ञान करवाये ही अपीलांट का उक्त भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए निर्णय पारित किया गया, जबकि उक्त भूमि पर अन्य 13 व्यक्तियों के द्वारा मोकें पर कब्जा कर रखा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलांट की विंघिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी गै०मु० रास्ते की भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2601 रकबा 0.08 है० किस्म गै०मु० रास्ता व खसरा नम्बर 3029 रकबा 0.03 है० किस्म बजंड भूमि वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर खेत की सीमा बढ़ाकर दीवार व कब्जा डोल(प्लाट का कब्जा) कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत धारा 91 कि रिपोर्ट में पटवारी ने अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट गै०मु० रास्ते की भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलार्थी ने बहस में बताया है कि अपीलार्थी के साथ-साथ अन्य लोगों का भी उक्त गै०मु० (ख.नं. 2601) रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण है, यदि सभी का अतिक्रमण हटाया जाता है



तो अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2018 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाप्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2018 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दूनी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के कथनानुसार गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 2601 की भूमि पर अन्य लोगों का भी अतिक्रमण हो तो जांच कर विधिवत कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सखाराम खोखर)
बाबरकत जिला 50945
अति.जिला कलेक्टर टोंक

